प्रेस विज्ञप्ति
12—06—2014

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिंचाई कॉलोनी, शांतिनगर, रायपुर — 492 001

दूरभाष क्र. —0771—4073555 फैक्सः 4073553

CSERC
छत्तीसगढ़ राज्य
विद्युत नियामक आयोग

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण कम्पनियों एवं राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए विद्युत दरों का निर्धारण

(वित्तीय वर्ष 2014—15)

राज्य में विद्युत दरों का निर्धारण राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अन्तर्गत किया जाता है। माननीय विद्युत अपीलीय प्राधिकरण के द्वारा याचिका क्र. ओ. पी. 01/2011 में पारित आदेशानुसार प्रति वर्ष दरों का पुनरीक्षण आवश्यक है। राज्य विद्युत कम्पनियों द्वारा दिसम्बर, 2013 में विद्युत दरों के निर्धारण हेतु याचिकायें प्रस्तुत की गई, जिन पर आयोग द्वारा सभी पक्षों को सुनने के उपरांत आज दिनांक 12—06—2014 को आदेश जारी किया गया है। आयोग द्वारा नई विद्युत दरें वर्ष 2014—15 के लिए निर्धारित की गई हैं, जो 31 मार्च, 2015 अथवा आगामी आदेश जारी होने तक, जो भी बाद में हो, प्रभावशील रहेंगी।

विद्युत दरों के निर्धारण के सिद्धान्त

विद्युत अधिनियिम, 2003 में यह प्रावधान है, कि आयोग दरों का निर्धारण करते समय राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा विद्युत दर नीति द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का अनुसरण करेगा। आयोग द्वारा दरों के निर्धारण में इन नीतियों एवं मार्गदर्शी सिद्धान्तों का समावेश किया गया है। आयोग द्वारा दर निर्धारण हेतु जो विनियम जारी किया गया है उसका भी अनुसरण आयोग द्वारा दरों के निर्धारण करने में किया गया है।

विद्युत दरों के निर्धारण की प्रक्रिया

छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण कम्पनी एवं राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा उनकी वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा क्रमशः उत्पादन लागत दर, पारेषण शुल्क एवं प्रदाय दर निर्धारण के लिए याचिकायें आयोग को प्रस्तुत की गई। प्रस्तावों पर आपत्तियाँ एवं टिप्पणियाँ आमन्त्रित करने के लिए समाचार पत्रों में दिनाक 05—03—2014 एवं 26—04—2014 को सूचना प्रकाशित की गई। प्राप्त आपत्तियों/टिप्पणियों के आधार पर आयोग द्वारा दिनांक 21—05—2014 एवं 22—05—2014 को सुनवाई भी की गई। छ.ग. राज्य विद्युत कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत की गईं याचिकाओं पर राज्य विद्युत सलाहकार समिति के सदस्यों से विस्तृत विचार विमर्श करने हेतु दिनांक 19—05—2014 को आयोग कार्यालय में बैठक भी आहुत की गई। कम्पनियों के प्रस्ताव के परीक्षण हेतु मेसर्स मेघराज केपिटल एडवाईज़र्स प्रा. लि, गुड़गांव की सेवाएं भी ली गई तत्पश्चात् विस्तृत विवेचना के आधार पर आयोग द्वारा दरों का निर्धारण किया गया है।

राज्य विद्युत कंपनियों की वार्षिक राजस्व आवश्यकता और प्रचलित दरों से प्राप्त राजस्व में अन्तर होने पर दरों का पुनर्निर्धारण आवश्यक होता है। वार्षिक राजस्व आवश्यकता में विद्युत के

CHHATTISGARH MINI STEEL PLANT ASSOCIATION
MSP
12/06/14

उत्पादन एवं क्रय की लागत, पारेषण एवं वितरण पर व्यय, संचालन एवं संधारण व्यय एवं वित्तीय लागत जिसमें ब्याज एवं मूल्यह्रास एवं नियोजित पूंजी पर युक्तियुक्त प्रतिलाभ को शामिल किया जाता है।

विद्युत दरों के पुनर्निर्धारण के मुख्य बिन्दुः–

- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वर्ष 2014–15 के लिए रू. 9526 करोड़ के वार्षिक राजस्व एवं औसत् दर 5.64 प्रति यूनिट की मांग की गई थी।
- विद्युत नियामक आयोग द्वारा छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी, छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कम्पनी के वर्ष 2010–11 एवं वर्ष 2011–12 की वर्षिक राजस्व आवश्यकता का अंतिम सत्यापन हेतु गहन परीक्षण किया एवं राज्य शासन द्वारा वर्ष 2014–15 हेतु दी गई रू. 465 करोड़ की सब्सीडी का समायोजन करने के उपरान्त छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी की रू. 7437 करोड़ की वार्षिक राजस्व आवश्यकता वर्ष 2014–15 हेतु मान्य की, जिसके आधार पर विद्युत प्रदाय की औसत दर रू. 4.40 प्रति यूनिट आती है।
- छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कम्पनी के राजस्व में अनुमानित रू. 807 करोड़ के कमी का आकलन किया गया। जिसकी भरपाई हेतु विद्युत दर में लगभग औसत 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
- घरेलू एवं गैर घरेलू उपभोक्ताओं हेतु गत वर्ष की तरह टेलिस्कोपिक दरें लागू रखी गई हैं।
- गत वर्ष घरेलू उपभोक्ताओं हेतु निर्धारित औसत विद्युत दर औसत विद्युत प्रदाय लागत का लगभग **64** प्रतिशत ही थी, इसे टैरिफ पॉलीसी में निहित प्रावधान का पालन करते हुए 69% किया गया है।
- गत वर्ष कृषि उपभोक्ताओं हेतु निर्धारित औसत विद्युत दर, औसत विद्युत प्रदाय लागत का लगभग 37 प्रतिशत ही थी, इसे टैरिफ पॉलीसी में निहित प्रावधान का पालन करते हुए 57% किया गया है।
- छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा आयोग के दिनांक 12–07–2013 को जारी किये गये टैरिफ आदेश के विरूद्ध माननीय विद्युत अपीलीय प्राधिकरण में याचिका क्रमांक 223/2013 दायर की गई है। अतः इस टैरिफ आदेश में अनुमोदित संचारण एवं संधारण खर्च, मूल्यह्रास एवं कार्यशील पूंजी इत्यादि विषय विवादित हैं, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा आदेश जारी करने के उपरान्त पुनरीक्षित किया जा सकता है।
- उपरोक्त समायोजनों के परिणाम स्वरूप चालू वित्त वर्ष हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता का युक्तियुक्तकरण करने पर अतिरिक्त राजस्व की आवश्यकता प्रतीत होने के कारण **प्रचलित गणना की गई विद्युत दरों में लगभग 15 प्रतिशत औसत की बढ़ोत्तरी की गई है, जो कि दिनांक 01.07.2014 से प्रभावशील होगी।**

(पी.एन. सिंह)
सचिव
(P. N. Singh)
Secretary

परिशिष्ट–1

निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु प्रचलित एवं आयोग द्वारा वर्ष 2014–15 हेतु अनुमोदित टैरिफ

उपभोक्ता श्रेणी		प्रचलित दरें	
		स्थिर प्रभार Rs.	ऊर्जा प्रभार Rs.
		नान–टेलिस्कोपिक	
LV-1 घरेलू उपभोक्ता एवं बीपीएल उपभोक्ता	0–100	1.40 प्रति यूनिट	0.70 प्रति यूनिट
	101–200	1.60 प्रति यूनिट	0.80 प्रति यूनिट
	201–600	2.30 प्रति यूनिट	1.10 प्रति यूनिट
	601 और अधिक	3.85 प्रति यूनिट	2.00 प्रति यूनिट
LV-2.1 गैर घरेलू उपभोक्ता	0–100	2.50 प्रति यूनिट	1.50 प्रति यूनिट
	101–500	3.00 प्रति यूनिट	1.80 प्रति यूनिट
	501 और अधिक	3.75 प्रति यूनिट	2.10 प्रति यूनिट
LV-2.2 गैर घरेलू उपभोक्ता	मांग आधारित	150/KW/ month on billing demand	4.50 प्रति यूनिट
LV-3 कृषि उपभोक्ता		25/HP/month	1.30 प्रति यूनिट
LV-4.1 कृषि संबंधी कार्य		60/HP/month or 80.43/kW/month	3.35 प्रति यूनिट
LV-4.2 कृषि संबंधी कार्य मांग आधारित		150/KW/month	3.15 प्रति यूनिट
LV-5.1 औद्योगिक उपभोक्ता	15 एच.पी. तक (आटाचक्की / पावर लूम)	25/HP/month	2.40 प्रति यूनिट
LV-5.2.1 औद्योगिक उपभोक्ता	25 एच.पी. तक (अन्य औद्योगिक)	60/HP/month	3.15 प्रति यूनिट
LV-5.2.2 औद्योगिक उपभोक्ता	25–100 एच.पी	100/HP/month	3.75 प्रति यूनिट
LV-5.3 औद्योगिक उपभोक्ता	मांग आधारित	150/KW/month on billing demand	3.85 प्रति यूनिट
LV-6 सार्वजनिक उपयोग		55/HP/month or 74/kW/month	2.85 प्रति यूनिट

उपभोक्ता श्रेणी		आयोग द्वारा अनुमोदित दरें	
		स्थिर प्रभार Rs.	ऊर्जा प्रभार Rs.
		टेलिस्कोपिक	
LV-1 घरेलू उपभोक्ता एवं बीपीएल उपभोक्ता	0–200	1.80 प्रति यूनिट	0.90 प्रति यूनिट
	201–600	2.60 प्रति यूनिट	1.50 प्रति यूनिट
	601 और अधिक	3.90 प्रति यूनिट	2.00 प्रति यूनिट
LV-2.1 गैर घरेलू उपभोक्ता	0–100	Rs. 50/KW/ month for to 3 KW & Rs. 100/KW/ more then 3 KW	4.00 प्रति यूनिट
	101–500		4.50 प्रति यूनिट
	501 और अधिक		6.00 प्रति यूनिट
LV-2.2 गैर घरेलू उपभोक्ता	मांग आधारित	180/KW/ month on billing demand	5.00 प्रति यूनिट
LV-3 कृषि उपभोक्ता		50/HP/month	2.25 प्रति यूनिट
LV-4.1 कृषि संबंधी कार्य		100/HP/month or 135/kW/month	4.00 प्रति यूनिट
LV-4.2 कृषि संबंधी कार्य मांग आधारित		180/KW/month	3.80 प्रति यूनिट
LV-5.1 औद्योगिक उपभोक्ता	15 एच.पी. तक (आटाचक्की / पावर लूम)	50/HP/month	2.65 प्रति यूनिट
LV-5.2.1 औद्योगिक उपभोक्ता	25 एच.पी. तक (अन्य औद्योगिक)	80/HP/month	3.40 प्रति यूनिट
LV-5.2.2 औद्योगिक उपभोक्ता	25–100 एच.पी	125/HP/month	3.80 प्रति यूनिट
LV-5.3 औद्योगिक उपभोक्ता	मांग आधारित	180/KW/month on billing demand	4.00 प्रति यूनिट
LV-6 सार्वजनिक उपयोग		100/HP/month or 135/kW/month	3.50 प्रति यूनिट

नोटः छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा 48.94 प्रतिशत की वृद्धि समान रूप से सभी श्रेणी में प्रस्तावित की थी।

उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु प्रचलित एवं आयोग द्वारा वर्ष 2014–15 हेतु अनुमोदित टैरिफ

उपभोक्ता श्रेणी		प्रचलित दरें		आयोग द्वारा अनुमोदित दरें	
		मांग प्रभार (रू. प्रति केवीए प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (रूपये प्रति यूनिट)	मांग प्रभार (रू. प्रति केवीए प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (रूपये प्रति यूनिट)
अति उच्च दाब उपभोक्ता (EHV Consumers)					
EHV-1 रेल्वे ट्रेक्शन	220 / 132 के.व्ही.	345.00	3.35	345.00	4.00 Rs/kVAh
EHV-2 मारी उद्योग	220 / 132 के.व्ही.	345.00	3.70	345.00	4.00 Rs/kVAh
EHV-3 स्टील उद्योग	220 / 132 के.व्ही.	345.00	3.10	345.00	3.50 Rs/kVAh
EHV-4 अन्य अति उच्च दाब उपभोक्ता	220 / 132 के.व्ही.	345.00	3.50	345.00	4.00 Rs/kVAh
EHV-5 ग्रीन एनर्जी	220 / 132 के.व्ही.	HV-10 में समाहित			
उच्च दाब उपभोक्ता (HV Consumers)					
HV-1.1 स्टील उद्योग	33 के.व्ही.	360.00	3.50	360.00	3.60 Rs/kWh
HV-1.2 स्टील उद्योग	11 के.व्ही.	370.00	3.60	370.00	3.70 Rs/kWh
HV-1 (optional) मिनी स्टील उद्योग	33 के.व्ही.	250.00	3.80	200.00	3.80 Rs/kWh
HV-1 (optional) मिनी स्टील उद्योग	11 के.व्ही.	260.00	3.90	210.00	3.90 Rs/kWh
HV-2 (optional) मिनी स्टील उद्योग	33 के.व्ही.	For 70% Load Fector		360.00	3.30 Rs/kWh
HV-2.1 खान एवं सीमेंट	33 के.व्ही.	360.00	3.95	360.00	4.20 Rs/kWh
HV-2.2 खान एवं सीमेंट	11 के.व्ही.	370.00	4.05	370.00	4.30 Rs/kWh
HV-3.1 अन्य उच्च दाब उद्योग	33 के.व्ही.	360.00	3.50	360.00	4.20 Rs/kWh
HV-3.2 अन्य उच्च दाब उद्योग	11 के.व्ही.	370.00	3.60	370.00	4.30 Rs/kWh
HV-4.1 कम लोड फैक्टर उद्योग	33 के.व्ही.	205.00	3.75	205.00	4.20 Rs/kWh
HV-4.2 कम लोड फैक्टर उद्योग	11 के.व्ही.	210.00	3.85	210.00	4.30 Rs/kWh
HV-5.1 आवासीय	33 के.व्ही.	360.00	3.20	360.00	3.40 Rs/kWh
HV-5.2 आवासीय	11 के.व्ही.	370.00	3.30	370.00	3.50 Rs/kWh
HV-6.1 सामान्य प्रयोजन (गैर–औद्योगिक)	33 के.व्ही.	360.00	4.10	360.00	4.20 Rs/kWh
HV-6.2 सामान्य प्रयोजन (गैर–औद्योगिक)	11 के.व्ही.	370.00	4.20	370.00	4.30 Rs/kWh
HV-7.1 सार्वजनिक जल प्रदाय एवं सिंचाई	33 के.व्ही.	205.00	2.90	205.00	3.40 Rs/kWh
HV-7.2 सार्वजनिक जल प्रदाय एवं सिंचाई	11 के.व्ही.	210.00	3.00	210.00	3.50 Rs/kWh
HV-8 स्टार्ट अप पावर	400 / 220 / 132 / 33 / 11 के.व्ही.	185.00	5.40	185.00	5.90 Rs/kVAh
HV-9.1 कृषि संबंधी कार्य	33 के.व्ही.	360.00	3.20	360.00	3.40 Rs/kWh
HV-9.2 कृषि संबंधी कार्य	11 के.व्ही.	370.00	3.30	370.00	3.50 Rs/kWh
HV-10 ग्रीन एनर्जी	400 / 220 / 132 / 33 / 11 के.व्ही.	345.00	3.00	345.00	4.10 Rs/kVAh

परिशिष्ट–3

प्रचलित औसत टैरिफ (2013–14) एवं आयोग द्वारा अनुमोदित औसत टैरिफ (2014–15) की तुलना

स.क्र.	श्रेणी	औसत यूनिट दर (रूपए प्रति यूनिट)	औसत यूनिट दर (रूपए प्रति यूनिट)	प्रतिशत (वृद्वि / कमी) वर्तमान दर से	प्रतिशत (वृद्वि / कमी) वर्तमान CoS से	
		प्रचलित दर	आयोग द्वारा अनुमोदित दर		Existing	Proposed
	1	2	4	5	6	7
	निम्न दाब उपभोक्ता				3.90	4.40
1	घरेलू	2.50	3.03	21.38%	64%	69%
2	गैर घरेलू	5.12	6.26	22.27%	131%	142%
3	कृषि	1.43	2.52	76.22%	37%	57%
4	कृषि संबंधि सेवा	3.91	4.93	26.09%	100%	112%
5	औद्योगिक (आटा चक्की, हलर, पॉवर.लूम इत्यादि	3.05	3.95	29.51%	78%	90%
6	अन्य औद्योगिक	5.17	5.65	9.28%	133%	128%
6	सार्वजनिक उपयोग	3.05	3.86	26.56%	78%	88%
अति उच्च दाब उपभोक्ता (220 / 132 के.व्ही.)						
7	रेलवे ट्रेक्शन	4.85	5.57	14.85%	124%	127%
8	भारी उद्योग	5.72	6.05	5.77%	147%	138%
9	स्टील उद्योग	5.11	5.55	8.61%	131%	126%
10	अन्य अति उच्चदाब उपभोक्ता	5.77	6.33	9.71%	148%	144%
उच्च दाब उपभोक्ता (33 / 11 के.व्ही.)						
11	स्टील उद्योग	4.78	4.88	2.09%	123%	111%
12	खान एवं सीमेंट	5.35	5.62	5.05%	137%	128%
13	अन्य उच्च दाब उद्योग	5.29	6.01	13.61%	136%	137%
14	उद्योग जिनका लोड फेक्टर कम है	6.72	7.20	7.14%	172%	164%
15	आवासीय	4.23	4.44	4.96%	108%	101%
16	सामान्य प्रयोजन (गैर–औद्योगिक)	6.45	6.55	1.55%	165%	149%
17	सार्वजनिक जल प्रदाय एवं सिंचाई	4.26	5.62	31.92%	109%	128%
18	स्टार्ट अप पावर (220 / 132 / 33 / 11 के.व्ही.)	9.54	10.24	7.34%	245%	233%
19	कृषि संबंधी कार्य	5.77	5.98	3.64%	148%	136%